सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 02, शुक्रवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 24, 2025 Kartika 02, Friday, Saka 1947- October 24, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, जिला-बांसवाड़ा

प्रपत्र-9

(अतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदशिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सख्या 30) की धारा 19(1) एवं राजस्थान नियम 21(1) के अधीन घोषणा)

घोषणा

बांसवाड़ा, अक्टूबर 04, 2025

RajKaj Ref No.: 18118836 :-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19(1) एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2016 के नियम 21(1) के अन्तर्गत ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए **राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में बांसवाड़ा उदयपुर सड़क (स्टेट हाईवे-32) पर ग्राम चिड़ियावासा में कागदी नदी पर निर्माणाधीन नवीन पुल एवं एप्रोच सड़क के निर्माण हेतु कुल 0.4589 हैक्टेयर भूमि** अपेक्षित है।

इसलिए यह घोषणा की जाती है कि लोक प्रयोजन के लिए उपर्युक्त परियोजना हेतु **राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में बांसवाड़ा उदयपुर सड़क (स्टेट हाईवे-32) पर ग्राम चिड़ियावासा में कागदी नदी पर निर्माणाधीन नवीन पुल एवं एप्रोच सड़क के निर्माण हेतु कुल 0.4589 हैक्टेयर भूमि** अवाप्ताधीन है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवाप्त क्षेत्रफल (व.मी.)	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टयर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर)	भू-स्वामी का नाम
1	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	चिड़ीयावासा	811	निजी	अडान	284.00	0.0284	0.0405	1. विजयराजसिंह पुत्र अक्षयपाल सिंह चौहान हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. कालिकामाता खातेदार,

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवाप्त क्षेत्रफल (व.मी.)	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टयर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर)	भू-स्वामी का नाम
2	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	चिड़ीयावासा	816	निजी	अडान	557.00	0.0557	0.2670	1. विजयराजसिंह पुत्र अक्षयपाल सिंह चौहान हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. कालिकामाता खातेदार,
3	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	चिड़ीयावासा	817	निजी	अडान	120.00	0.0120	0.0809	1. विजयराजसिंह पुत्र अक्षयपाल सिंह चौहान हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. कालिकामाता खातेदार,
4	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	चिड़ीयावासा	810	निजी	रा.क.	280.00	0.0280	0.1375	1. विजयराजसिंह पुत्र अक्षयपाल सिंह चौहान हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. कालिकामाता खातेदार,
5	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	चिड़ीयावासा	809/1	निजी	का.गो.	240.00	0.0240	0.0971	1. प्रीतमराज झाला पुत्र यशवन्तसिंह झाला हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. दैह खातेदार,
6	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	चिड़ीयावासा	812/1	निजी	अडान	108.00	0.0108	0.1133	1. प्रीतमराज झाला पुत्र यशवन्तसिंह झाला हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. दैह खातेदार,
7	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	चिड़ी	815/1	निजी	अडान	256.00	0.0256	0.1294	1. प्रीतमराज

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवाप्त क्षेत्रफल (व.मी.)	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टयर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर)	भू-स्वामी का नाम
			यावासा							झाला पुत्र यशवन्तसिंह झाला हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. दैह खातेदार,
8	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	चिड़ीयावासा	818	सरकारी	नदी	1092.00	0.1092	1.2378	राज. सरकार
						कुल अवाप्त रकबा :	**2937.00**	**0.2937**	**2.1035**	
1	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	बड़गाँव	1	सरकारी	नदी	780.00	0.0780	1.2141	राज. सरकार
2	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	बड़गाँव	3	सरकारी	रास्ता	240.00	0.0240	0.0809	राज. सरकार
3	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	बड़गाँव	2/2	सरकारी	सड़क	140.00	0.0140	0.1052	1. सार्वजनीक निर्माण विभाग भवन पथ बांसवाड़ा हिस्सा- पूर्ण पी.डब्ल्यु.डी.,
4	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	बड़गाँव	2/1	निजी	कालीकदीम	492.00	0.0492	0.2833	1. पूनमदेवी पत्नि हिमाँशु याज्ञिक, हिस्सा- 1/2 जाति- नागर सा. सेवानिवास बांसवाड़ा खातेदार 2. हिरामणी देवी पत्नि स्व. गोविन्दलाल याज्ञिक हिस्सा- 1/2 जाति- नागर सा. सेवानिवास बांसवाड़ा खातेदार,
						कुल अवाप्त रकबा:	**1652.00**	**0.1652**	**1.6835**	

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवाप्त क्षेत्रफल (व.मी.)	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टयर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर)	भू-स्वामी का नाम
परियोजना में कुल अवाप्त रकबा:							4589.00	0.4589	3.7870	

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के प्रावधानों के तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों से उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को सुनने एवं जांच उनके निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत की गई है।

भू-अर्जन के कारण पुनर्वासन होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौहा, पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति मंे उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है कि ऐसे भागों को छोड़कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/अवलोकन **भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, जिला-बांसवाड़ा** के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के पुनर्वासन योजना प्रस्ताव शून्य होने से प्रभावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन **भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, जिला-बांसवाड़ा** के कार्यालय में किया जा सकता है।

आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि.विभाग, राजस्थान जयपूर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।